संख्या-20/2015/743/38-4-15-02(बजट)/2015

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2015**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले कलस्टर में आवासों के साथ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था मद में व्यय हेतु धनराशि का अधिकतम मानक निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-807/वि0का0/लो0ग्रा0आा0यो0/2015, दिनांक-26-05-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले कलस्टर के आवासों की संख्या के आधार पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु अधिकतम रू0-1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) प्रति आवास निर्धारित/व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत कलस्टर में बनने वाले आवासों की मूलभूत सुविधाओं में सड़क, पानी, बिजली, नाली अन 04 कार्यो को ही रखा जाये। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य यथा के0सी0 ड्रेन, बारबेट वायर फेंसिंग, पार्क, कम्यूनिटी सेण्टर इत्यादि कार्यो को स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत कलस्टर में बनने वाले आवासों की मूलभूत आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु जनपद स्तर पर एक टीम गठित की जाये। जिसमें परियोजना निदेशक, अधिशासी अभियन्ता, आर0ई0एस0/पी0डब्ल्यू0डी0 एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी सम्मिलित हो, स्थानीय स्तर पर यह टीम निर्माण स्थल का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं के निर्धारण हेतु अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जनपद स्तर पर ही कार्य कराये जाने हेतु निर्णय कुछ कार्य कन्वर्जेन्स के माध्यम से तथा कुछ कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से कराया जायेगा ।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत कलस्टर में बनने वाले आवासों का जनपद द्वारा प्राक्कलन के साथ धनराशि की मांग का प्रस्ताव आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका परीक्षण भिज्ञ अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा, परीक्षणोपरान्त निर्मित होने वाले आवासों के कलस्टर की आवासों की संख्या के आधार पर अधिकतम रू0-1.00 लाख प्रति आवास निर्धारित किया जायेगा ।

(4)- वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि नियमानुसार राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

(5)- इस सम्बन्ध में यदि कोई विचलन पायी जाती है तो वित्त नियंत्रक एवं मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिवा

संख्या-20/2015/734(1)/38-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त संयुक्त् विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

प्रभात कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in